राजस्व अपील संख्या 142 / 2022

अनवान

मांगाराम वगैरा बनाम उपखण्ड अधिकारी बालेसर वगैरा

दिनांक 06 –04–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या 57 / 2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव राजसागर मे पारित आदेश दिनांक 24–11–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है ।

वकील अपीलांट श्री श्रवण चौधरी एवं रेस्पो0 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवलसिंह दहिया उपस्थित । पक्षकारो के अधिवक्ताओ की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–2021 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया।

अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही है।

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

इस सम्बध मे अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर, मौके फर्द हमारी उपस्थिति मे तैयार की जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते के सम्बध मे जारी परिपत्र की पूर्ण पालना करते हुए जो अपीलाधीन आदेश

हमने पक्षकारो अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश जो ग्राम राजसागर (चामू) तहसील सेखाला के सबंध मे पारित किये गये आदेश दिनांक 24–11–2021 एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, मौके की जांच किये बिना तथा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या 57/2021 मे पारित आदेश दिनांक 24–11–2021 को निरस्त किये बिना इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति मे रास्ते का मौका निरीक्षण करे। उक्त कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए पक्षकारान के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे वर्णित अपीलान्ट के खातेदारी के खंसरा न0 1640/2 की भूमि पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर